

74/2009



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

न्यास - पत्र  
(TRUST DEED)

दिनांक २२-०४-२००९ को  
L 306156

## DECENT EDUCATION TRUST

मैं टीकाराम शर्मा पुत्र स्व० श्री हुकुम चन्द शर्मा निवासी आदर्श नगर, दादरी गौतम बुध नगर, (उ०प्र०) संस्थापक-न्यासी DECENT EDUCATION TRUST का आज दिनांक 13-04-2009 को न्यास के इस घोषणा पत्र का निष्पादन कर रहा हूँ।

मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मानव समाज में सुख शान्ति, सदभावना, धार्मिकता, शिक्षा, सदाचार, स्वास्थ्य आदि उत्तम व आदर्श गुणों की स्थापना हेतु एक ट्रस्ट की स्थापना की जाये।

मैं टीकाराम शर्मा पुत्र स्व० श्री हुकुम चन्द शर्मा ट्रस्ट का आजीवन संस्थापक न्यासी रहूँगा तथा ट्रस्ट के वर्तमान ट्रस्टियों का विवरण निम्न प्रकार है :-

*T. R. Sharma*

*V. K. Sharma*



TIKARMA  
SHARMA  
d, Ghaziabad



क्रमांक.....11..... दिनांक 5 APR 2009

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.....

स्टाम्प क्रेता का नाम वी पूरा पता.....

.....

स्टाम्प की बनराशि 500/-

उमेश कुमार स्टाम्प विक्रेता

लाइसेंस नम्बर 377

लाइसेंस की नवीनीकरण की अवधि 31-3-2010

चै 37 तहसील कम्पाउण्ड, गाजियाबाद

न्यास पत्र

5,100.00

140.00

40

180.00

2,000

न्यास की राशि

श्री/श्रीमती टीकाराम शर्मा

पुत्र/पत्नी श्री स्व हुकम चन्द शर्मा

पेशा व्यापार/नौकरी/ग्रहणी

निवासी स्थायी आदर्श नगर दादरी गौतमबुद्धनगर

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 13/4/2009 समय 12:17PM

बने निबन्धन हेतु पेश किया।

फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग



सुनील कुमार सिंह  
उप निबन्धक (तृतीय)  
गाजियाबाद

13/4/2009

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री/श्रीमती टीकाराम शर्मा

पुत्र/पत्नी श्री स्व हुकम चन्द शर्मा

पेशा व्यापार/नौकरी/ग्रहणी

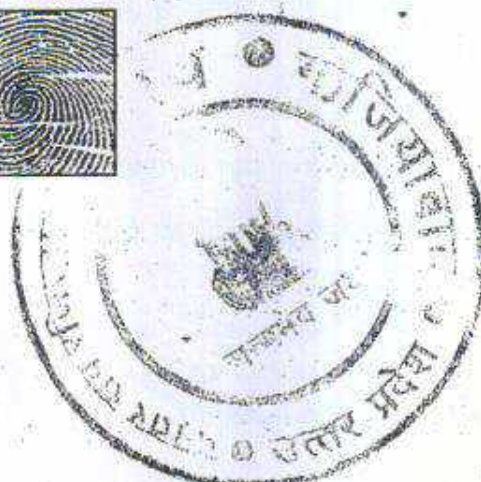
निवासी आदर्श नगर दादरी गौतमबुद्धनगर

श्री/श्रीमती विदित शर्मा

पुत्र/पत्नी श्री भगवत स्वरूप शर्मा

पेशा व्यापार/नौकरी/ग्रहणी

निवासी 2/142 से-2 राजेन्द्र नगर गाबाद





- 1- टीकाराम शर्मा पुत्र स्व० श्री हुकुम चन्द शर्मा  
निवासी आर्दश नगर, दादरी गौतम बुध नगर (उ०प्र०)।
- 2- विदित, शर्मा पुत्र श्री भगवत स्वरूप शर्मा  
निवासी 2/142, सै०-2, राजेन्द्र नगर, गाजियाबाद (उ०प्र०)।
- 3- अर्चना शर्मा पत्नी श्री टीकाराम शर्मा  
निवासी आर्दश नगर, दादरी गौतम बुध नगर (उ०प्र०)।



### DECENT EDUCATION TRUST

**DECENT EDUCATION TRUST** अभी तक सदस्यता से प्राप्त राशि के माध्यम से केवल कार्यालय व्यय कुछ सामाजिक गतिविधियों जैसे कार्यों तक सीमित थी वे शैक्षणिक चिकित्सा के क्षेत्र में तथा कमजोर, साधनहीन या जरूरतमंद व्यक्तियों विशेषतः विधवाओं, अपंगों व उच्च शिक्षा एवं इस हेतु विदेशों में भेजने आदि में सहयोग करने में वित्तीय स्थिति के अभाव में अपने आपको असहाय पा रही थी। इन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने व इस माध्यम से जन-जन से जुड़ने के उद्देश्य से **DECENT EDUCATION TRUST** की स्थापना की जाती है। इसके निमित्त प्रारम्भ में 5100/- रु० (पाँच हजार एक सौ० केवल) को प्रदान करता हूँ।

#### 1) ट्रस्ट का नाम :

इस ट्रस्ट का नाम **DECENT EDUCATION TRUST** रहेगा। इसमें प्रयुक्त ट्रस्ट से आशय **DECENT EDUCATION TRUST** होगा।

#### 2) ट्रस्ट का कार्यालय :

ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय गाजियाबाद में स्थित रहेगा। वर्तमान पता 2/142, सै०-2, राजेन्द्र नगर, गाजियाबाद (उ०प्र०) रहेगा। आवश्यकतानुसार न्यास के उपकार्यालय समस्त भारत व विदेशों में कभी भी खोले जा सकते हैं। जो/जहाँ भी ट्रस्ट का कार्यालय खोला जायेगा वह ट्रस्ट की सम्पत्ति न समझी जाये।

Vishal Sharma



ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री सुनील कुमार बत्स

पुत्र श्री रामकिशन शर्मा

पेशा व्यापार/नौकरी/ग्रहण

निवासी आदर्श नगर दादरी गौतमबुद्धनगर

व श्री पुष्पेन्द्र

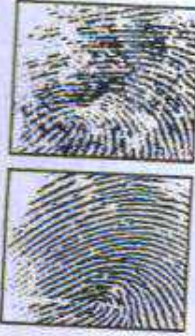
पुत्र श्री रतनवीर शर्मा

पेशा व्यापार/नौकरी/ग्र

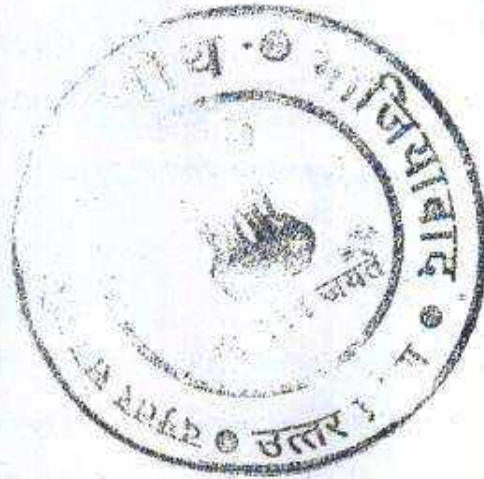
निवासी आदर्श नगर दादरी गौतमबुद्धनगर

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगुठे नियमानुसार लिये गये हैं ।



सुनील कुमार सिंह  
उप निबन्धक (तृतीय)  
गाजियाबाद  
13/4/2009





### 3) ट्रस्ट का उद्देश्य :

1- भारतीय दर्शन एवं हिन्दू संस्कृति, समाज, कला-साहित्य आदि विषयों पर शोध करना, करवाना तथा ऐसे शोधकर्ताओं को पुरस्कृत करना तथा छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहयोग देना। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिक्षा पा रहे मेधावी छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु उपयुक्त सहयोग देना तथा विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले विशेष योग्यता वाले छात्र-छात्राओं के लिए शिक्षा-गोद प्रणाली के आधार पर उचित सहयोग प्रदान करना साथ ही विदेशों में उच्च शिक्षा हेतु भिजवाना। इस प्रकार ज्ञानदान की विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करना।

2- शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना व करवाना एवं कार्यरत संस्थाओं को सहायता प्रदान करना।

3- शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में लोकहित में कार्य करना तथा इन कार्यों में संलग्न संस्थाओं को सहायता प्रदान करना।

4- प्राचीन एवं अर्वाचीन शिक्षा पद्धति के समन्वय पर आधारित पाठशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, गुरुकुलों जैसी शिक्षण संस्थाओं के निर्माण विस्तार और विकास में सहयोग देना।

5- जनकल्याण की दृष्टि से औषधालयों, चिकित्सालयों, प्रसूति ग्रहों, पाठशालाओं, पुस्तकालयों, वाचलनालयों, स्वाध्याय-मण्डलों, छात्रवासों आदि की स्थापना, विस्तार और विकास करना तथा ऐसे प्रयत्नों से पूर्ण सहयोग प्रदान करना।

6- असहाय, असमर्थ, बेरोजगार, निराश्रित, अपाहिज वृद्ध, अपंग, विकलांगों, विधवा बहनों इत्यादि को जीविकोपार्जन हेतु घरेलू उद्योगों तथा अन्य सहयोगी कार्यों हेतु उपयुक्त ऋण व आर्थिक सहायता देना, आवास, निवास, भोजन, सेवा सुश्रव औषधि, शिक्षा इत्यादि की व्यवस्था करना व करवाना।



Vishal Sharma



Registration No

74

न्यासी

Year : 2009

Book No.

4

0101 टीकाराम शर्मा

स्व हुकम चन्द शर्मा

आदर्श नगर दादरी गीतमबुद्धनगर

व्यापार/नौकरी/ग्रहणी



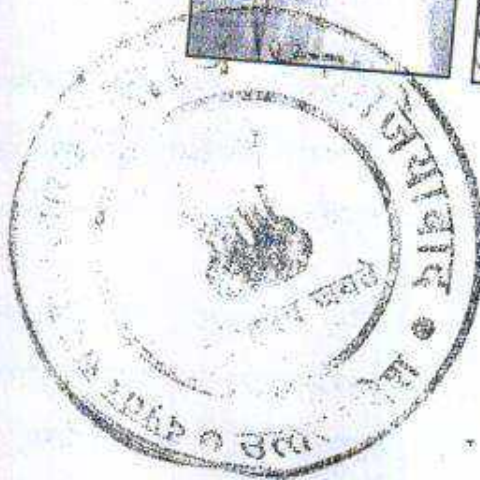
0102 विदित शर्मा

भगवत स्वरूप शर्मा

2/142 से-2 राजेन्द्र नगर गादाद

व्यापार/नौकरी/ग्रहणी

*Vidit Sharma*





7- प्राकृतिक विपदाओं के समय जन - साधारण के लिए राहत कार्य करना व सहयोग प्रदान करना।

8- समस्त प्राणीमात्र के हितार्थ कार्य करना तथा करवाना।

9- सभी धर्मों में सहिष्णुता एवं सामंजस्य का वातावरण निर्माण करना तथा उनके लिए अवसर आयोजित करना तथा उद्देश्य पूर्ति हेतु कार्य करने वाली संस्था का योगदान देना।

10- ट्रस्ट के स्थायी कोष एवं संचित आय से विभिन्न चल एवं अचल सम्पत्ति निर्माण करना तथा खरीदना, बेचना, गिरवी रखना किराये पर अथवा लाईसेन्स पट्टे पर देना अथवा लेना इस प्रकार से चल एवं अचल सम्पत्ति के बारे में ऐसी कार्यवाही करना जो ट्रस्ट के हित में हो।

11- हिन्दी साहित्य दर्शन, संस्कृति, इतिहास और पुरातत्व पर शोध करने वाले छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था करना-करवाना।

12- विदेशों में स्थापित प्राच्य-विद्या संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें हिन्दी साहित्य, संस्कृति, दर्शन, इतिहास और पुरातत्व से संबंधित उच्च कोटि का साहित्य सुलभ कराना और वहाँ अध्ययन-अध्यापन एवं शोध कार्य के साधन जुटाना तथा विद्वानों के पारस्परिक आदान-प्रदान की व्यवस्था करना।

13- ट्रस्ट के स्थायी कोष के निर्माण एवं विस्तार हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से धनराशि प्राप्त एवं एकत्रित करना।

14- उद्देश्यों की पूर्ति से संबंधित अन्य कोई भी कार्य करना।

#### 4) ट्रस्ट की सम्पूर्ण सम्पत्ति:

समय - समय पर उसमें होने वाली वृद्धि सहित ट्रस्ट बोर्ड में निहित रहेगी और उसके स्वत्व, प्रबन्ध तथा व्यवस्था का सम्पूर्ण अधिकार व दायित्व ट्रस्ट बोर्ड को होगा।



Vishal Sharma





विभिन्न आयोजनों, अवसरों तथा माध्यमों से दानदाताओं द्वारा प्राप्त होने वाली तथा इसके अलावा ट्रस्ट जो भी चाहे, अचल सम्पत्ति अर्जित करेगा अथवा निर्माण करेगा। इस कार्य हेतु प्राप्त राशि भी ट्रस्ट का स्थायी कोष माना जायेगा।

मूलधन के ब्याज या लाभ या दान अन्य प्रकार से जो भी बढ़ोत्तरी होगी वह ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी। भविष्य में अन्य किसी प्रकार से चल-अचल सम्पत्ति चाहे वह दान के रूप में या चंदे के रूप में या आर्थिक या अन्य किसी प्रकार की सहायता के रूप में किसी व्यक्ति या संस्था या सरकार या सरकारी निगम या नगर पालिका या औद्योगिक संस्थान आदि से प्राप्त अनुदान, ग्रांट अथवा लोन के रूप में प्राप्त होगा। वह ट्रस्ट की आय होकर सम्पत्ति मानी जायेगी। इन सभी सम्पत्ति के सब प्रकार का अधिकार ट्रस्ट को प्राप्त होगा। अर्थात् समस्त सम्पत्ति भी ट्रस्ट द्वारा निर्मित की जाये, सब ट्रस्ट में वेष्टित या निहित होगी।

5) **वित्तीय वर्ष**

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

6) **ट्रस्ट की संचालन व्यवस्था**

1- ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा होगी।

7) **ट्रस्ट बोर्ड की सदस्यता**

अ) पारिवारिक आजीवन ट्रस्टी 51,000 रुपये या अधिक रुपये दान देने या दिलाने वाले सदस्य पारिवारिक आजीवन ट्रस्टी रहेंगे।

ब) जीवन पर्यन्त आजीवन ट्रस्टी 1,00,000 रुपये या अधिक रुपये दान देने या दिलाने वाले सदस्य अपने जीवन काल तक ट्रस्टी रहेंगे।

स) साधारण ट्रस्टी - वे समस्त महानुभाव जो इस ट्रस्ट को कम से कम 11000/- रुपये का दान स्थाई कोष में देंगे, ट्रस्ट के साधारण सदस्य होंगे।



Vishesh







8) ट्रस्ट प्रबन्धकारिणी

ट्रस्ट के प्रशासन तथा व्यवस्था की सुविधा एवं सहयोगार्थ एक प्रबन्धकारिणी होगी।

प्रबन्धकारिणी का गठन निम्नानुसार रहेगा।

1- ट्रस्ट के समस्त ट्रस्टीगण।

2- प्रबन्धकारिणी का कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा। परन्तु कोई स्थान रिक्त हो जाने पर अगले चुनाव तक उसकी पूर्ति ट्रस्टीगण द्वारा की जावेगी।

9) ट्रस्ट सभा (साधारण सभा)

1- धारा 7 में वर्णित सभी सदस्य ट्रस्ट सभा के सदस्य जाने जावेंगे।

2- ट्रस्ट सभा की बैठक हर 1 वर्ष में होगी जिसमें धारा 10 के अनुसार निवृत्त ट्रस्टी का चुनाव किया जावेगा एवं द्विवार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित आय-व्यय प्रस्तुत किया जायेगा।

3- ट्रस्ट सभा का कोरम 21 सदस्यों का माना जावेगा परन्तु कोरम के अभाव में स्थगित बैठक आधे घंटे बाद उसी स्थान पर हो सकेगी। जिसमें कोरम की आवश्यकता नहीं रहेगी।

4- साधारण सभा की बैठक की लिखित सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व की जायेगी। जिसमें समय स्थान व कार्यसूची भेजी जावेगी।

10) ट्रस्टीगण

अ- ट्रस्ट की धारा (7) अ, ब एवं स के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की स्थिति में ट्रस्ट बोर्ड की संख्या उतने ही सदस्यों से स्वतः बढ़ जायेगी।



Mohd. Hameed







### 11) ट्रस्ट बोर्ड के पदाधिकारी

ट्रस्ट के पदाधिकारी निम्नानुसार रहेंगे। जिनका चुनाव ट्रस्ट के प्रथम बैठक में ट्रस्टियों में से किया जायेगा। जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और उनका चुनाव धारा - 7 के अन्तर्गत निर्वाचित ट्रस्टियों के पश्चात होने वाली ट्रस्ट की प्रथम बैठक में होगा।

अध्यक्ष - 1

महामन्त्री - 1

कोषाध्यक्ष - 1

### 12) ट्रस्ट बोर्ड के अधिकार एवं कर्तव्य

1- ट्रस्ट के अध्यक्ष, महामन्त्री एवं कोषाध्यक्ष तथा ट्रस्ट द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारीयों एवं कर्मचारीयों के कर्तव्य एवं अधिकार ट्रस्ट बोर्ड द्वारा तय किये जायेंगे।

2- ट्रस्ट के साधारण सभा तथा ट्रस्ट बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में महामन्त्री या किसी ट्रस्टी द्वारा साधारण सभा तथा बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की जायेगी।

3- ट्रस्ट की सम्पूर्ण सम्पत्ति का स्वामित्व ट्रस्ट कमेटी में वेष्टित रहेगा परन्तु कोई भी सम्पत्ति किसी ट्रस्टी की व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं होगी और न कोई ट्रस्टी ट्रस्ट में व्यक्तिगत लाभ प्राप्त कर सकेगा।

4- ट्रस्ट बोर्ड ट्रस्ट कार्य के संबंध में विभिन्न उपनियम निर्देशन, कार्यक्रम, योजनायें तथा प्रस्ताव स्वीकृत करेगी।

5- ट्रस्ट बोर्ड को ट्रस्ट के प्रावधानों के अधीन ट्रस्ट का संचालन करने प्रबन्धकारिणी की बैठक बुलाने निर्वाचन संबंधी नियम बनाने, हिसाब-किताब रखने व ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट की समस्त कार्यवाही करने संबंधी नियम, उपनियम निर्मित करने का एवं आवश्यकतानुसार उनमें संशोधन करने का अधिकार रहेगा।









6- ट्रस्ट बोर्ड को ट्रस्ट की सम्पत्ति विनियोजन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

7- ट्रस्ट बोर्ड किसी भी कार्य विशेष के लिए उपसमिति निर्मित कर सकेगी व उसे अपने अधिकार दे सकेगी।

8- ट्रस्ट बोर्ड की बैठकों के लिए कम से कम 11 सदस्यों का कोरम रहेगा। जिसमें पदाधिकारियों के अतिरिक्त कम से कम 3 ट्रस्टियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

9- ट्रस्ट बोर्ड ट्रस्ट द्वारा ट्रस्ट पर चलाये गये या ट्रस्ट द्वारा लगाये जाने वाले अन्य कानूनी कार्यवाही आदि में पैरवी के लिए अभिभावक अथवा अभिकर्ता इत्यादि नियुक्त कर सकेगी या यह कार्यवाही करने के लिए अपने में से किसी को अधिकृत कर सकेगी। इसी प्रकार ट्रस्ट की ओर से समस्त अनुबन्धों समझौतों प्रतिवाद पत्रों तथा अन्य दस्तावेजों का निष्पादन करना तथा शरायतें तय करना आदि संबंधी कार्य करेगी या अपने में से किसी को करने हेतु अधिकृत कर सकेगी।

10- ट्रस्ट बोर्ड को अधिकार होगा कि किसी एक या अधिक शिड्यूल बैंकों में ट्रस्ट के हर प्रकार खाते खोल सके तथा ऋण आदि प्राप्त कर सकें तथा उसका संचालन (आपरेट) अध्यक्ष, महामन्त्री कोषाध्यक्ष में से किसी दो के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

11- ट्रस्ट बोर्ड अपने उद्देश्यों तथा योजनाओं की पूर्ति के लिए अपने अधिकारों को निर्धारित सीमाओं में किसी पदाधिकारी ट्रस्टी या कर्मचारी को सौंप सकता है, बशर्ते कि वह अन्य प्रावधानों के विपरीत न हो।

12- ट्रस्ट बोर्ड द्वारा जिन अधिकारों को किसी ट्रस्टी, उपसमिति या कर्मचारी को सौंपा जाता है, उन अधिकारों के मातहत या कर्मचारी को सौंपा जाता है, उन अधिकारों के मातहत किये गये कार्यों की रिपोर्ट समय - समय पर ट्रस्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है।

13- ट्रस्ट की सम्पूर्ण चल -अचल सम्पत्ति ट्रस्ट बोर्ड में निहित रहेगी ट्रस्ट बोर्ड के निर्णय द्वारा दस्तावेजों में चल - अचल सम्पत्ति आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक ट्रस्टियों के नाम अंकित हो सकती है। परन्तु व्यक्तिशः किसी भी ट्रस्टी का सम्पत्ति पर









अधिकार या हित नहीं होगा। ऐसे ट्रस्टियों के नामांकन को बदलने का अधिकार ट्रस्ट को होगा।

14- ट्रस्ट की समस्त अचल सम्पत्ति का रिकार्ड एक रजिस्टर में अंकित होना चाहिए तथा समय - समय पर की गई खरीद और बिक्री की प्रविष्टियां उस रजिस्टर में ही की जानी चाहिए।

15- ट्रस्ट की किसी भी चल - अचल सम्पत्ति की बिक्री, लीज पर देने या अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार ट्रस्ट बोर्ड का रहेगा जिसका निर्णय उपस्थित ट्रस्टियों के तीन - चौथाई बहुमत से होगा। ट्रस्ट बोर्ड अपना यह अधिकार उपस्थित सदस्यों के तीन - चौथाई बहुमत से अध्यक्ष, महामन्त्री अन्य किसी पदाधिकारी या ट्रस्टी को निर्धारित सीमाओं में सौंप सकता है। इस विषय की सूचना ट्रस्ट की कार्य-सूची में अवश्य दी जानी चाहिए।

16- यदि उपरोक्त प्रावधानों को पूरा किये बिना कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति या ट्रस्ट से जुड़े हुए किसी व्यक्ति अथवा पदाधिकारी द्वारा हस्तांतरित की जाती है या हो जाती है तो वह अवैध होगा और ट्रस्ट के लिए बन्धनकारक नहीं होगा।

17- चल - अचल सम्पत्ति की खरीद, लीज या किराये पर लेने का अधिकार ट्रस्ट बोर्ड को होगा। ट्रस्ट बोर्ड अपना यह अधिकार उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से निर्धारित सीमाओं में किसी ट्रस्टी या पदाधिकारी को सौंप सकता है।

18- आवश्यक पडने पर ऋण लेने का अधिकारी ट्रस्ट बोर्ड को होगा यदि किसी अचल सम्पत्ति की सिक्योरिटी पर यह ऋण प्राप्त किया जाता है तो इसके लिए उपस्थित ट्रस्टियों के तीन - चौथाई बहुमत की सहमति आवश्यक है।

19- ट्रस्ट बोर्ड को ट्रस्ट की धनराशि को निवेश करने और निवेशित सम्पत्ति को समय - समय पर बेचने या बदलने का होगा। यह निवेश आय कर नियमों के तत्कालीन लागू प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए।



*Handwritten signature*







20- किसी भी अवस्था में धनराशि किसी ट्रस्टी अथवा किसी संस्था को उधार नहीं दी जायेगी।

21- ट्रस्ट बोर्ड किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार से नगद अथवा वस्तु के रूप में दान स्वीकार कर सकता है जो ट्रस्ट सम्पत्ति का एक भाग बन जायेगा। ट्रस्ट बोर्ड बिना कारण बताये किसी दान को अस्वीकार भी कर सकता है।

22- किसी भी प्रकार का इकरारनामा, अनुबन्ध या समझौता करने का अधिकार ट्रस्ट बोर्ड को होगा।

23- किसी व्यक्ति, पेढी संस्था या सरकार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार ट्रस्ट बोर्ड को होगा।

24- बैंक में खाता खोलने या बन्द करने का अधिकार ट्रस्ट बोर्ड का होगा।

25- ट्रस्ट की नगद राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के खातों में ही रखी जायेगी। परन्तु ट्रस्ट बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं तक की राशि, कोषाध्यक्ष अथवा किसी अन्य ट्रस्टी या कर्मचारी को सौंपी जा सकती है।

26- यदि किसी ट्रस्टी के नाम या उसकी अधीन ट्रस्ट की कोई भी चल - अचल सम्पत्ति हो तो सूचित किये जाने पर उसका पूरा विवरण देना तथा उसे ट्रस्ट को लौटाना उस ट्रस्टी के लिए अनिवार्य होगा।

27- कोई भी ट्रस्टी सम्पत्ति के प्रबन्ध के दौरान कोई वित्तीय लाभ स्वयं प्राप्त नहीं कर सकेगा। ट्रस्ट के हित में सम्पन्न कार्यों के दौरान हुए व्यय की प्रतिपूर्ति ट्रस्ट बोर्ड की अनुमति से ट्रस्टियों को की जा सकेगी।

28- व्यावसायिक (प्रोफेशनल) कार्य के लिए ट्रस्ट बोर्ड की अनुमति से ट्रस्टियों को उचित पारिश्रमिक दिया जा सकता है।

29- ट्रस्ट के हित के उद्देश्य से किसी भी ट्रस्ट के सदभावी कार्य में यदि कोई भी हो जाये और उससे ट्रस्ट बोर्ड को कोई हानि भी हो सकती है तो उसके लिए ट्रस्टी को



Vickram







उसकी क्षतिपूर्ति व्यक्तिगत रूप से नहीं करनी होगी। लेकिन जानबूझकर गलत कार्यों के द्वारा यदि ट्रस्ट को हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व संबंधित पदधिकारी या ट्रस्टी का होगा।

30- ट्रस्ट के कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा में उन्नति, निलम्बन, सेवा सम्पत्ति और उनके सेवा संबंधी नियमों के निर्णय का अधिकार ट्रस्ट बोर्ड को होगा।

31- ट्रस्ट बोर्ड को कार्य विशेष के लिए उपसमितियों को गठन करने का एवं उसके संचालन हेतु नियम बनाने का अधिकार होगा। उपसमितियों के सदस्य ट्रस्ट बोर्ड के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी हो सकेंगे।

32- ट्रस्ट बोर्ड को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या क्षेत्र की उन्नति और भले के लिए कोई भी कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा। बशर्ते वह ट्रस्ट के अन्य प्रावधानों के प्रतिकूल न हो।

33- ट्रस्ट की सम्पत्ति व आय - व्यय का सही हिसाब रखने अंकेक्षक की नियुक्ति करने, अंकेक्षित कराने और हर वर्ष साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करने का दायित्व ट्रस्ट बोर्ड का होगा।

34- अपने उद्देश्यों की पूर्ति के संबंध में दान या सहायता देने का अधिकार ट्रस्ट बोर्ड का होगा।

35- ट्रस्ट बोर्ड कार्य विशेष के लिए पॉवर ऑफ अटॉर्नी किसी व्यक्ति को दी जा सकती हैं

36- क्षेत्र के समुचित प्रबन्ध एवं उन्नति का सारा दायित्व ट्रस्ट बोर्ड का होगा।



Vishal Sharma







### 13) ट्रस्ट बोर्ड की बैठक

1- ट्रस्ट बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी। ट्रस्ट बोर्ड की बैठक साधारणतया अध्यक्ष की सहमति से महामन्त्री द्वारा बुलाई जायेगी।

2- ट्रस्ट बोर्ड की बैठक की सूचना साधारणतः कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व देना आवश्यक होगा जिसमें बैठक के स्थान, समय दिन व प्रस्तावित कार्य सूची की जानकारी दी जायेगी। किसी अत्यधिक आवश्यक परिस्थिति में अल्पावधि की सूचना देकर बैठक बुलाई जा सकती है। परन्तु किसी आकस्मिक भूल की वजह से सूचना न मिलने पर बैठक की कार्यवाही अवैध नहीं होगी।

अ- ट्रस्टियों का चुनाव या ट्रस्ट बोर्ड में रिक्त स्थानों की पूर्ति।

ब- वे अपने विषय जिनके लिए 3/4 बहुमत की आवश्यकता है।

3- ट्रस्ट बोर्ड की बैठक का एक उपस्थिति रजिस्टर रहेगा तथा एक मिनिट बुक रहेगी जिसमें ट्रस्ट बोर्ड की बैठक में सम्पन्न हुई कार्यवाही अध्यक्ष की सहमति के पश्चात ट्रस्टियों को प्रसारित कर दिया जायेगी एवं अगली बैठक में सम्पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

4- ट्रस्ट बोर्ड के निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत में किये जायेंगे। समान मत होने पर सभापति को अतिरिक्त मत देने का अधिकार रहेगा। प्रावधानों में जहां तीन - चौथाई बहुमत का निर्देश है उन परिस्थितियों में निर्णय तदनुसार होगा। किसी प्रस्ताव को प्रसारण द्वारा भी तीन - चौथाई बहुमत से या साधारण से (जैसा उस विषय में प्रावधान हो) पारित किया जा सकता है। मतदान एक व्यक्ति एक मत के आधार पर होगा।

जो भी व्यक्ति ट्रस्ट की सदस्यता या ट्रस्टी बनना स्वीकार करता है इसके संविधान से बंधा रहेगा और इस ट्रस्ट के संबंध में उसी के अनुरूप कार्य करेगा।



Vishal Sharma







14) ट्रस्ट प्रबन्धकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य

- 1- ट्रस्ट के साधारण प्रबन्ध, व्यवस्था तथा कार्य संचालन संबंधी अधिकार प्रबन्धकारिणी को रहेगा।
- 2- प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट कमेटी द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार समस्त कार्य करेगी।
- 3- प्रबन्धकारिणी विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु उपसमितियों का गठन या पुनर्गठन कर सकेगी एवं उनके कर्तव्य तथा अधिकार कर सकेगी। ऐसी उपसमितियों में आवश्यक होने पर ट्रस्ट कमेटी अथवा प्रबन्धकारिणी के सदस्यों के अतिरिक्त व्यक्ति भी मनोनीत किये जा सकेंगे।
- 4- प्रबन्धकारिणी की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी जिसमें वर्ष का अंकेक्षित हिसाब, आय व्यय तथा ट्रस्ट के कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।
- 5- प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट के हित में किसी भी योजना के लिए ट्रस्ट कमेटी का सुझाव दे सकेगी।
- 6- प्रबन्धकारिणी की बैठक की लिखित सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व की जायेगी जिसमें समय स्थान व कार्य सूची भेजी जायेगी।

15) ट्रस्टी का निष्कासन, स्थान रिक्त होना तथा उसके पद की पूर्ति

- 1- उसकी मृत्यु हो जाने पर।
- 2- पागल हो जाने पर अथवा विकृतचित्त हो जाने पर।
- 3- ट्रस्टी द्वारा विदेश नागरिकता स्वीकार कर लिये जाने पर।
- 4- उसका त्याग पत्र स्वीकृत हो जाने पर।
- 5- भारतीय ट्रस्ट विधान के अनुसार ट्रस्टी रहने के अयोग्य हो जाने पर।
- 6- बगैर योग्य कारण ट्रस्ट बोर्ड की लगातार 4 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर



V. K. Sharma





## 16) ट्रस्ट का विघटन विलोपन

महासमिति ट्रस्ट का विलोपन इसी विषय पर बुलाई गयी ट्रस्ट सभा की विशेष बैठक में ही सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट (1869) के अन्तर्गत किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में महासमिति ट्रस्ट की समस्त चल अचल सम्पत्ति देनदारी/ लेनदारी का स्थानांतरण समान उद्देश्यों वाली किसी संस्था को किया जा सकेगा।

संस्थापक ने उपर वर्णित तिथि मास एवं वर्ष में निम्न साक्षियों की उपस्थिति में इस न्यास पत्र का निष्पादन किया है।

  
(टीकाराम शर्मा)  
संस्थापक-न्यासी

  
गवाह-1 श्री सुनील कुमार वत्स  
पुत्र श्री राम किसन शर्मा  
आर्दश नगर दादरी

  
2- श्री पुष्पेन्द्र शर्मा  
पुत्र श्री रतनवीर शर्मा  
आर्दश नगर दादरी



SHARMA  
PURNENDRA  
CHAZIABAD



SHARMA  
PURNENDRA  
CHAZIABAD







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 94329

यह स्टाम्प पेपर DECENT EDUCATION TRUST

डीड के साथ संलग्न किया गया

*Vidit Kumar*



18

13/4/09

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

दीपारामशर्मा जी दुकान चयन शुभा  
पि. दापरी गोरखपुर







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 943293

यह स्टाम्प पेपर DECENT EDUCATION TRUST

डीड के साथ संलग्न किया गया

Vikash Kumar

दिनांक 13-04-2009 मसौदा सुनील कुमार शर्मा लायर्स चैम्बर नं0 5 तह कम्प गाजियाबाद।



19  
18

13/4/09

प्रमाणित करने का प्रयोजन...

प्रमाणित करने का नाम व पता...

प्रमाण की अवधि...

प्रमाण प्रकाश शर्मा, प्रमाण प्रमाणिका नं. 201

की अवधि 1-Apr 0 से 31-Mar-2010

प्रमाण 80 बाजियाबाद

दीपाराम शर्मा - 2

आज दिनांक 13/04/2009 को

बही सं 4 जिल्द सं 757

पृष्ठ सं 95 से 126 पर क्रमांक 74

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

सुनील कुमार सिंह  
उप निबन्धक (तृतीय)  
गाजियाबाद

13/4/2009

